



बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर

(जिला पंचायत कार्यालय)

Ph No. :- 06189-223241 (O)

Fax No. :- 06189 - 223301

E-mail : dm-bhabua.bih@nic.in

कार्यालय आदेश

जिला पंचायत कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 16/मु0/पं0, दिनांक 05.01.2018 एवं आदेश ज्ञापांक 58/पं0, दिनांक 21.01.2019 के आलोक में कुल 23 नवनियुक्त कार्यपालक सहायकों के योगदान के फलस्वरूप एवं 04 अन्य कार्यपालक सहायकों का स्थानान्तरण, उनके नाम के सामने अंकित प्रखण्ड/पंचायतों में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

क्र0	नाम	गृह प्रखण्ड	पूर्व पदस्थान/प्रतिनियुक्ति	नव पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति	
				प्रखण्ड	पंचायत
1	2	3	4	5	
1	श्री निखिल कुमार	कुदरा	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	चाँद	लोहदन
2	श्री रिजवान खॉ	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	अधौरा	आथन
3	श्री रविकान्त	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	रामपुर	सबार
4	श्री सत्य प्रकाश सिंह	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	रामगढ़	सहुका
5	श्री अंशुमान कुमार गुप्ता	रामगढ़	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	दुर्गावती	धड़हर
6	ज्योति कुमारी	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	चैनपुर	बिउरमानपुर
7	बिन्दु तिवारी,	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	चैनपुर	करजांव
8	मंशा कुमारी	दुर्गावती	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	कुदरा	सिसवार
9	श्री दिपक कुमार सिंह	रामपुर	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	नुआँव	दुमदुमा
10	फुलमति कुमारी	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	भभुआ	कैथी
11	प्रतिमा कुमारी	रामपुर	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	मोहनियाँ	भोखरी
12	सुमन कुमारी	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	भभुआ	रुईयां
13	रिन्कु कुमारी सिंह	भगवानपुर	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	रामपुर प्रखण्ड	-
14	पिन्दु कुमार,	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	मुख्यालय	-
15	विकास कुमार गुप्ता	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	चाँद	गोई
16	देवेश कुमार	अधौरा	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	रामगढ़	सदुल्हपुर
17	श्री रामचन्द्र प्रसाद	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	अधौरा	डरवन
18	अजीत कुमार	चैनपुर	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	भभुआ	अधौरा
19	श्री प्रभु प्रसाद पासी	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	चाँद प्रखण्ड	महुअत
20	श्री आशुतोष तिवारी	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	मुख्यालय	-
21	श्री अशोक कुमार सिंह	मोहनियाँ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	मोहनियाँ	डंडवास
22	श्री रमेश कुमार	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	अधौरा	डुमरांवा
23	श्री अविनाश तिवारी	भभुआ	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	नुआँव	नुआँव
24	श्री अशोक तिवारी	रामपुर	जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर	रामगढ़	अहिवास
25	श्री विवेक कुमार	मोहनियाँ	मोहनियाँ/भिट्टी	मोहनियाँ	अकोढीमेला
26	श्री कौशल किशोर	भभुआ	अधौरा/आथन	भभुआ	मनिहारी
27	श्री पिंकी कुमारी	रोहतास	कुदरा/सलथुआं	दुर्गावती	खड़सरा
			चैनपुर/बिउरमानपुर	कुदरा	नेवरास
				मोहनियाँ	भिट्टी

क्रमांक 01 से क्रमांक 27 तक के सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 06.02.2019 तक संबंधित प्रखण्ड/पंचायत में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त सूची में अंकित सभी कार्यपालक सहायक का नियोजन निम्न शर्तों के अनुरूप किया जाता है।

1. उक्त संविदा नियोजित कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त राशि से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर के द्वारा इनके अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।
2. नियोजित कार्यपालक सहायक को योगदान के साथ ही निम्न सामग्रियों का रखना अनिवार्य होगा (a) एक कम्प्यूटर डेस्कटॉप, (b) सादा प्रिन्टर, (c) यू0पी0एस0, (d) सी0पी0यू0, (e) क्रियाशील डाटा कार्ड।
कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से राशि देय नहीं होगा। उसमें लगने वाले पेपर, कार्टिज की आपूर्ति संबंधी कार्यालय द्वारा की जायेगी, डाटा कार्ड का बिल नियोजित कर्मी द्वारा देय होगा।
3. नियोजन स्थायी नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य सुविधा के हकदार माने जायेंगे।
4. नियोजित कर्मी के द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
5. संविदा की अवधि ग्यारह माह के लिए लागू होगा। अवधि विस्तार आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यालय के अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक प्रखण्डों में प्रतिनियुक्ति की तिथि को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं अपराधिक मुकदमा नहीं रहने का शपथ पत्र मूल में एवं उपरोक्त सभी शर्तों के आलोक में संलग्न एकरारनामा प्रपत्र में प्रखण्डों में योगदान के दिन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में जाँचोपरान्त प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की छल कपट या अनियमितता की सूचना पाये जाने पर नियोजन रद्द करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। सभी वर्णित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् प्रथम दृष्टया जाँचोपरान्त नियोजित कर्मियों का योगदान स्वीकार किया जाएगा तथा योगदान के पश्चात् सभी वर्णित प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्म जाँच करायी जाएगी।
7. नियोजित कर्मियों को उपरोक्त वर्णित विभागीय संकल्प एवं प्रावधानों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा तथा समय-समय पर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आदेश/अनुदेश के अनुपालन की बाध्यता होगी।
8. सभी नियोजित कार्यपालक सहायक संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

80 —
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कैमूर।

ज्ञापांक XVII-12-19-92/पं0, दिनांक 29.11.19/

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कार्यपालक सहायकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/आई0टी0, प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे कैमूर जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कैमूर भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, कैमूर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, कैमूर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4/11/19
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
कैमूर।